न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 122 / 2015–16 अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधि0

गोकल सिंह पुत्र स्व0 नारायण सिंह, निवासी ग्राम रोलाकोट, पट्टी–रैका, तहसील प्रतापनगर, जिला टिहरी गढ़वाल।

बनाम

1. श्रीमती छुमा देवी पत्नी स्व0 जेमडिया, पुत्री स्व0 फिंचरू, ग्राम ओखला, पट्टी रैका, तहसील प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल

2. सरकार द्वारा कलेक्टर, टिहरीर गढ़वाल।

.....उत्तरदातागण

3.प्रेम सिंह, साब सिंह पुत्रगण स्व0 सोकार सिंह

4. अजय सिंह, अंकित सिंह उर्फ अखिलेश पुत्रगण किशन सिंह,

निवासीगण ग्राम रोलाकोट, पट्टी रैका, तहसील प्रतापनगर, जिला टिहरी गढ़वाल।

.....प्रोफार्मा उत्तरदातागण

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री राजेन्द्र भट्ट।

अधिवक्ता उत्तरदात्री सं0–01 : श्री आर0एम0 नौटियाल एवं नीनू शर्मा (अनुपस्थित)

निर्णय

यह निगरानी निगरानकर्ता उपरोक्त ने कलेक्टर, टिहरी गढ़वाल द्वारा अपील संख्या–06 / 2012–13 एवं अपील संख्या–56 / 2013–14 श्रीमती छुमा देवी बनाम प्रेम सिंह आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 05–08–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है:–

उत्तदात्री संख्या–01 द्वारा नायब तहसीलदार, टिहरी बाँध द्वारा पारित दाखिल खारिज आदेश दिनांक 01–06–84 के विरूद्व अपील दिनांक 19–04–2013 को सहायक कलेक्टर, प्रतापनगर के न्यायालय में इन आधारों पर प्रस्तुत की गई कि उनके पिता फिंचरू के नाम मौजा रौलाकोट, रैका की फसली 1383 से 1388 के खाता संख्या–75 व फसली वर्ष 1389 से 1394 के खाता संख्या–86 में बतौर भूमिधर सहखातेदार भूमि दर्ज थी जिसे बजाय उत्तरदात्री / अपीलार्थिनी के अन्य सहखातेदारों के वारिसों नारायण सिंह, प्रेमसिंह व साब सिंह आदि के नाम इन्द्राज करने के आदेश नायब तहसीलदार, टिहरी बांध द्वारा कमशः दिनांक 20–04–1979 व 01–06–1984 को किये गये व इन आदेशों के अनुसार अपीलार्थिनी के पिता की भूमि अन्य सहखातेदारों के नाम इन्द्राज हो गये। उनके पिता की मृत्यु दिनांक 12–06–1984 व माता नारायणी देवी की मृत्यु दिनांक 04–12–1999 को हुई थी। वह अपने

माता–पिता की अकेली स्त्री सन्तान थी इस कारण वह अपने विवाह के पश्चात भी अपने पिता के हक हिस्से की भूमि को खाती कमाती रही है व वर्तमान में भी अपने माता–पिता की मृत्यु के पश्चात भी अपने पिता के हक–हिस्से की भूमि खाती–कमाती रही है। वर्ष 2013 के प्रारम्भ में जब वह अपने राजकीय कार्य हेतु खतौनी की नकल की आवश्यकता हुई व दिनांक 19–02–2013 को जब उसने तहसील, प्रतापनगर से अपने पिता के हिस्से की भूमि की हाल खतौनी की नकल प्राप्त की तो पहली बार उसे ज्ञात हुआ कि उसके पिता के नाम दर्ज भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, प्रतापनगर के न्यायालय से आदेश दिनांक 13–08–2012 से अपील कलेक्टर, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी के न्यायालय में अन्तरित हुई। इस अपील में उत्तरदात्री संख्या–01/अपीलार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम दिनांक 17–04–2013 शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया गया। उभयपक्षों की सुनवाई के उपरान्त विद्वान कलेक्टर, टिहरी गढ़वाल द्वारा आदेश दिनांक 05–08–2015 से अपील दाखिल करने में हुए विलम्ब को क्षमा कर परिसीमा अधिनियम–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्रावली अन्तिम बहस हेतु दिनांक 26–08–2015 को नियत की गई। विद्वान कलेक्टर, टिहरी गढ़वाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–08–2015 के विरूद्व यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त द्वारा योजित की गई है।

नियत तिथि पर उत्तरदात्री की ओर से किसी के उपस्थित न होने पर मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी एवं अपीलीय न्यायालय की पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की बहस एक पक्षीय रूप से सुनी एवं संगत पत्रावलियों का भंली–भांति अवलोकन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का प्रमुख तर्क यह है कि विद्वान कलेक्टर, टिहरी ने विलंब से प्रस्तुत अपील को सर्वप्रथम अविधिक् रूप से ग्रहण कर तत्पश्चात् उत्तरदात्री से विलंबमर्षण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाना आदेशित कर आक्षेपित आदेश के द्वारा विलंबमर्षण किया गया है जबकि विलंबमर्षण प्रार्थना पत्र अपीलीय ज्ञाप के साथ ही प्रस्तुत होना चाहिए था एवं बाद में प्रस्तुत विलंबमर्षण प्रार्थना पत्र में विलंब को काई पर्याप्त कारण नहीं प्रस्तुत हुआ है।

विद्वान कलेक्टर, टिहरी के पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि आलोच्य प्रकरण में नामान्तरण आदेश नायब तहसीलदार, टिहरी द्वारा दिनांक 01.06.1984 को पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध उत्तरदात्री संख्या–01 ने दिनांक 18.08.2013 को एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार प्रतापनगर के समक्ष धारा 34 भू0राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया परन्तु विद्वान तहसीलदार ने उसका यह प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.09.2013 को इस निर्देश के साथ लौटा दिया गया कि वह धारा–210 भू0राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करे। स्पष्ट है कि आदेश दिनांक 01.06.1984 बिना उत्तरदात्री के

नामान्तरण कार्यवाही में प्रतिभाग के पारित किया गया। नामान्तरण कार्यवाही में एक पक्षीय रूप से पारित नामान्तरण आदेश के विरूद्ध धारा–201 भू–राजस्व अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार अपील ग्राहय नहीं होती है। ऐसे आदेश के विरूद्ध धारा 201 उक्त के दूसरे अंश के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र विधिवत् प्रस्तुत किया जा सकता है। कदाचित उत्तरदात्री ने ऐसा प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.2013 को तहसीलदार प्रतापनगर के समक्ष प्रस्तुत किया परन्तु इस पर विद्वान तहसीलदार का अपील प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश विधि सम्मत् नहीं था एवं कदाचित् उन्होंने एतद्संबंधी विधिक् प्राविधानों का अध्ययन किये बिना ही अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

उक्त स्थिति के दृष्टिगत विद्वान सहायक कलेक्टर अथवा विद्वान कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत अपील ग्राहय ही नहीं थी। अतः उनके द्वारा पारित आक्षेपित आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है एवं आक्षेपित आदेश के पश्चात् की समस्त कार्यवाही अपखण्डित(quash) होने योग्य है। नामान्तरण आदेश दिनांक 01.06.1984 के विरूद्ध संबंधित पक्ष को कार्यवाही पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र धारा–201 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत विधिवत् प्रस्तुत करने का अवसर अब भी रहता है। उक्त विधिक् स्थिति के दृष्टिगत निगरानी भले ही अन्य कारण से ही सही स्वीकारणीय है।

आदेश

निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है एवं उसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही अपखण्डित(quash) की जाती है। संबंधित पक्षकार नायब तहसीलदार टिहरी द्वारा पारित आदेश 01.06.1984 को वापस लेकर मूल नामान्तरण कार्यवाही को पुनर्जीवित किये जाने हेतु विद्वान नायब तहसीलदार, टिहरी अथवा तहसीलों के पुनर्गठन के फलस्वरूप नव गठित तहसील के विद्वान तहसील के समक्ष विधिवत् आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापस कर इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक **30.01.2018** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।